

68वें

स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर

पंजीकरण

दिनांक 25.08.2014
से 30.09.2014

समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

देश की राजधानी के समीप बनायें अपना आशियाना

सिद्धार्थ विहार योजना के सेक्टर-7, गाजियाबाद में
हिण्डन, यमुना एवं गंगा अपार्टमेंट में फ्लैटों का

पंजीकरण

स्ववित्त पोषित योजना का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	फ्लैट का प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल (व.मी.में)	सुपर प्लिंथ एरिया (व.मी.में)	अवशेष फ्लैटों की संख्या	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	अनुमानित पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)	चयन के पश्चात् आवंटन पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अन्दर देय धनराशि (रु. लाख में)	अवशेष भुगतान चार तिमाही किश्तों में (प्रत्येक किश्त की धनराशि) (रु. लाख में)
1.	हिण्डन अपार्टमेंट	1 बी.एच.के.	51.28	64.61	10	32.48	1.63	4.85	6.50
		2 बी.एच.के.	81.26	97.16	106	49.22	2.47	7.39	9.84
2.	यमुना अपार्टमेंट	2 बी.एच.के.+स्टडी	97.54	116.66	172	59.24	2.97	8.87	11.85
		3 बी.एच.के.	107.70	128.60	102	65.38	3.27	9.81	13.075
		पेन्ट हाउस पर्ल	139.21	166.50+37.51 टैरेस	06	87.42	4.37	13.11	17.485
		पेन्ट हाउस रुबी	174.36	208.19+38.69 टैरेस	09	107.89	5.40	16.17	21.58
3.	गंगा अपार्टमेंट	3 बी.एच.के.+स्टडी	144.11	165.73	123	84.48	4.23	12.67	16.895
		3 बी.एच.के.+स्टडी+टेरेस	157.04	180.6+टैरेस 26.34	05	94.27	4.72	14.15	18.85
		4 बी.एच.के.+स्टडी	165.15	189.92	107	96.92	4.85	14.55	19.38
		पेन्ट हाउस डायमण्ड	200.19	229.70+टैरेस 64.40	03	121.10	6.06	18.16	24.22

सामान्य पंजीकरण योजना का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	फ्लैट का प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल (व.मी.में)	सुपर प्लिंथ एरिया (व.मी.में)	अवशेष फ्लैटों की संख्या	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	अनुमानित पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)	चयन के पश्चात् आवंटन पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अन्दर देय धनराशि (रु. लाख में)	फ्लैट का प्रदेशन पत्र जारी करने/भौतिक कब्जे के समय देय धनराशि (रु. लाख में)	अवशेष भुगतान 10 वर्ष में 11.5 प्रतिशत की ब्याज सहित मासिक किश्तों में देय धनराशि (रु. लाख में)
1.	हिण्डन अपार्टमेंट	1 बी.एच.के.	51.28	64.61	10	38.23	1.91	3.82	13.385	19.115
		2 बी.एच.के.	81.26	97.16	106	57.87	2.90	5.80	20.235	28.935
2.	यमुना अपार्टमेंट	2 बी.एच.के.+स्टडी	97.54	116.66	172	69.64	3.49	6.98	24.35	34.82
		3 बी.एच.के.	107.70	128.60	102	76.84	3.85	7.70	26.87	38.42
		पेन्ट हाउस पर्ल	139.21	166.50+37.51 टैरेस	06	102.66	5.14	10.28	35.91	51.33
		पेन्ट हाउस रुबी	174.36	208.19+38.69 टैरेस	09	126.69	6.34	12.68	44.325	63.345
3.	गंगा अपार्टमेंट	3 बी.एच.के.+स्टडी	144.11	165.73	123	99.24	4.97	9.94	34.71	49.62
		3 बी.एच.के.+स्टडी+टेरेस	157.04	180.6+टैरेस 26.34	05	110.70	5.54	11.08	38.73	55.35
		4 बी.एच.के.+स्टडी	165.15	189.92	107	113.84	5.70	11.40	39.82	56.92
		पेन्ट हाउस डायमण्ड	200.19	229.70+टैरेस 64.40	03	142.16	7.11	14.22	49.75	71.08

योजना के विशेष आकर्षण

- योजना दिल्ली-लखनऊ मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 24 पर स्थित है ● योजना से दिल्ली की दूरी मात्र 05 किमी.
- योजना से नोएडा की दूरी मात्र 02 किमी. ● एनएच 24 एवं एनएच 58 को जोड़ने के लिए प्रस्तावित 75 मी. चौड़ा एक्सप्रेस हाइवे योजना से होकर निकल रहा है ● सन्तोष मेडिकल कालेज योजना की सीमा पर स्थित ● योजना परिषद द्वारा विकसित वसुन्धरा योजना से मात्र 01 किमी. की दूरी पर स्थित ● 50 क्यूसेक गंगा जल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूर्व में ही योजना में निर्मित है तथा 100 क्यूसेक गंगा जल परियोजना का कार्य योजना में ही निर्माणाधीन।

नोट :- (1) स्ववित्त पोषित योजना में पूर्ण मूल्य के भुगतान के पूर्व कब्जा देय होगा एवं सामान्य पंजीकरण योजना में सम्पत्ति का कब्जा कुल मूल्य के 50 प्रतिशत धनराशि के भुगतान के उपरान्त देय होगा। (2) इच्छुक आवेदक दोनों भुगतान पद्धति में से किसी एक का चयन कर आवेदन कर सकते हैं। दोनों श्रेणियों में एक साथ आवेदन अनुमत्य नहीं है। (3) कुल 643 फ्लैट्स पंजीकरण हेतु उपलब्ध हैं। पंजीकरण हेतु प्रथम वरीयता स्ववित्त पोषित योजना के आवेदकों को दी जायेगी उसके उपरान्त सामान्य श्रेणी के आवेदकों पर विचार किया जायेगा।

ऑन लाईन पंजीकरण हेतु अधिकृत बैंक

- भारतीय स्टेट बैंक : वसुन्धरा गाजियाबाद सेक्टर-2 नोएडा, लोनी गाजियाबाद, सेक्टर-2 नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, पटना, दिल्ली एवं ग्रेटर नोएडा

ऑफ लाईन पंजीकरण हेतु अधिकृत बैंक

- भारतीय स्टेट बैंक ● पंजाब नेशनल बैंक ● ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स ● बैंक ऑफ इण्डिया

पंजीकरण पुस्तिका दिनांक 25.08.2014 से परिषद मुख्यालय 104-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ एवं उपरोक्त बैंक शाखाओं में रु. 1000/- भुगतान के उपरान्त विक्रय हेतु उपलब्ध होगी।

डायल कर दें
टोलफ्री-1800-180-5333
0522-2236803

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए **जनसुविधा केंद्र** की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

IS 15700:2005



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
104-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
website : <http://www.upavp.com>
E-Mail : upavp@sancharnet.in

